

Form No III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलैक्टर बागोड़ा जिला-जालौर (राज.)

वादी- फ़ौजे खां व/० हियात
मुसलमान मीरगंज

बनाम प्रतिवादी- आलम खां व/० मीरगंज
मुसलमान मीरगंज

किस्म मुकद्दमा अन्तर्गत धारा 53, 188, च. का. अ. मुकद्दमा नम्बर 26 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
24/8/18	प्रार्थीगण/सायल/अपीलान्त/वादीगण ने एक वाद/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 में बाबत विमान द्वारा निवेदन पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों/ गैर सायल/ रेस्पोंडेन्ट/ प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 7/9/18 को पेश हो।	
7/9/18	<p>पत्रावली आज पेश हुई</p> <p>करीब वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि हमारे आपस में राजीनामा हो चुका है एवं हम उक्त पत्रावली आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उक्त दावा जरिये नोटिस थ्यारीज फरमावे।</p> <p>हमें पत्रावली का अवकोउन किया एवं करीब वादी ने निवेदन के आधार पर उक्त दावा जरिये नोटिस थ्यारीज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर 1833 व 1834 द. द. है।</p>	Not Proves S. S. Chy